उत्तर रेलवे
NORTHERN RAILWAY

प्रधान कार्यालय,
बड़ौदा हाउस,
नई दिल्ली।

मु0क्र0सं0 13500/67

प.स. 6-ई/6 सी.पी.सी./ Advances / 08/ EIV दिनांक 13/01/2009

सभी मुख्य विभागाध्यक्ष
समस्त मण्डल रेल प्रबन्धक
एवं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- Advance/withdrawal from State Railway Provident Fund (SRPF) in the 6th. CPC scales of pay - regarding.

रेल मंत्रालय के पत्र सं. F(E)III/2008/PF1/1 दिनांक 05/01/2009 (आर.बी.ई.सं.02/09) क्र.सं. पी.सी.-VI - 67 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न/यथोक्त

13/1/09
(D.V.Gautam)
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

1. सभी कार्मिक अधिकारी/प्र.का. बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।
2. महासचिव; एनआरएमयू, 12 चेम्सफोर्ड रोड; नयी दिल्ली
3. महासचिव; अ0भा0अ0जा0/अ0ज0जा0 रेल कर्मचारी संगठन सी-16 के रेलवे कालोनी लाजपतनगर; नईदिल्ली-24
4. महासचिव; अ0भ0अ0पि0व0 रेल कर्मचारी संगठन 171/ए;3 बसंत लेन नई दिल्ली।

PC VI - 67
RBE No. 05/2009

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. F(E)III/2008/PF1/1 New Delhi, dated 05-01-2009.

General Managers/ FA&CAOs.,
All Indian Railways & Production Units.
(As per Mailing List)
Northern Rly - New Delhi

Sub: Advance/withdrawal from State Railway Provident Fund (SRPF) in the 6th CPC scales of pay - regarding.

Consequent upon implementation of the decision of the Government on the recommendations of the 6th Central Pay Commission, references have been received from some of the zonal railways as to whether advances/withdrawal from SRPF is to be sanctioned as per the existing entitlement, on the basis of the revised pay in the pay band/pay scale. The matter has been examined, in consultation with Department of Pension & Pensioners' Welfare and it is clarified that advances/withdrawals from SRPF are to be sanctioned as per the existing entitlement on the basis of the "basic pay" as defined in the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008.

(This disposes of Eastern Railway's letter No. F/P/RULES dated 22.10.2008 and Southern Railway's letter No. P.541/HQ/PF/Policy/Vol.IV dated 31.10.2008.)

2. Hindi version is enclosed.

3. Please acknowledge receipt.

(SUNIL BHARDWAJ)
Deputy Director Finance (Estt.) III,
Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. एफ(ई)III/2008/पीएफ1/1 नई दिल्ली, दिनांक 5.01.2009

महाप्रबंधक/वित्त एवं मुलेधि,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमानों में राज्य रेलवे भविष्य निधि (एसआरपीएफ) से अग्रिम लेने/निकासी के संबंध में।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, कुछ क्षेत्रीय रेलों से संदर्भ प्राप्त हुए हैं कि क्या एसआरपीएफ से अग्रिम लेने/निकासी को वेतन बैंड/वेतनमान में संशोधित वेतन के आधार पर मौजूदा पात्रता के अनुसार स्वीकृत किया जाना होगा। मामले की पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के परामर्श से जांच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि एसआरपीएफ से अग्रिम लेने/निकासी को रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 में यथापरिभाषित "मूल वेतन" के आधार पर मौजूदा पात्रता के अनुसार स्वीकृत किया जाना होगा।

(इससे, पूर्व रेलवे के 22.10.2008 के पत्र सं. एफ/पी/रूल्स और दक्षिण रेलवे के 31.10.2008 के पत्र सं. 541/एचक्यू/पीएफ/पॉलिसी/वॉल्यूम-IV का निपटारा हो जाता है।)

2. कृपया पावती दें।

(सुनील भारद्वाज)
उप निदेशक वित्त (स्था.)III,
रेलवे बोर्ड.

FINANCE-F (E)III